

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिरवा, उदयपुर

खेली

विपक्षी मंगल

मा बि ०५५

पत्रावली संख्या ४१/२० सन _____

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

6.11.24

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित हुए।
 उभयपक्ष बैठक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर
 अध्ययन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात के लक्षण
 में आधीगण द्वारा भूलवाद वास्तु होबना का वादग्रस्त आराजीयात
 को मौरुली बताते हुए पेश किया गया है। दस्तगत प्रकरण में
 पूर्व में दिनांक 14.8.23 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
 की गई। प्रकरण आधीया द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का
 मौरुली अंतर्गत हुए प्रार्थन पत्र पेश किया है तथा प्रकृत नामों
 अन्तर्गत (विपक्षी) 2 को जरिये लिफ्ट डीड आफर हुई है तथा
 उल्लेख नाम राजाब रिजार्ड में दर्ज है। प्रकरण में वादग्रस्त
 आराजीयात में यह निर्धारण टोना जोफ है कि विवादित भूमि
 मौरुली है अथवा नहीं यह निर्धारण होने के पूर्व विपक्षी 2
 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज रिजार्ड पर बचान करता है
 वो आधीया को अपूर्णतीय क्षति होगी तथा प्रथम दृष्टया
 आधीया का प्रकरण प्रतीत होगा है।

अतः आधीया का प्रार्थन स्वीकार किया जाता है

तथा उभयपक्ष को वाक्य दिया जाता है कि दस्तगत प्रकरण

के भूलवाद प्रकरण संख्या 96/20 के निस्तारण तब राजाब

गाम खेजरी की भागस प.न. क्षेत्रों की भागस सी.दा.स. 6805/3515

6806/4710 बिना 2 रकत 0-1850 हेक्टर भूमि में रिजार्ड

की यथा स्थिति बनाये रहें।

निर्णय को अन्तर्गत हुनाम गमा प्रकृत फॉर्मल द्वारा

होम नंबर ले का हो।

(हस्ताक्षर)
 2/15